<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>28.11.2025</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने 25-26 नवंबर, 2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत पुणे में ऋण लेने वालों, कार डीलरों और एसबीआई के तत्कालीन शाखा प्रबंधक के 12 आवासीय और कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई एसबीआई, पुणे में वाहन ऋण धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले के संबंध में की गई।

ईडी ने सीबीआई एसीबी, पुणे और शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन, पुणे द्वारा आईपीसी, 1860 और पीसी अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकियों के आधार पर जांच शुरू की। यह आरोप लगाया गया था कि अमर कुलकर्णी ने 2017-2019 के दौरान एसबीआई, यूनिवर्सिटी रोड शाखा, पुणे में मुख्य प्रबंधक के रूप में कार्य करते हुए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और एसबीआई, पुणे में ऑटो लोन काउंसलर आदित्य सेठिया और कुछ उधारकर्ताओं के साथ मिलकर उच्च मूल्य के कार ऋणों की धोखाधड़ी से प्रक्रिया और अनुशंसा करके एसबीआई को धोखा देने की आपराधिक साजिश रची।

ईडी की जाँच से पता चला है कि आरोपी कर्जदारों ने जाली दस्तावेजों के आधार पर धोखाधड़ी से उच्च मूल्य के कार ऋण प्राप्त किए और बैंक के साथ धोखाधड़ी की। इसके अलावा, आरोपी लोक सेवक अमर कुलकर्णी ने उक्त साजिश के तहत, बैंक की ऋण नीति का उल्लंघन करते हुए, उक्त फर्जी/जाली दस्तावेजों का सत्यापन किए बिना, आरोपी कर्जदारों के उच्च मूल्य के कार ऋण प्रस्तावों को अनुचित और बेईमानी से संसाधित और अनुशंसित किया। कई ऋण मामलों में, ऋण में शामिल मार्जिन मनी बढ़ाने के लिए बैंक को बढ़ी हुई राशि के साथ फर्जी कोटेशन प्रस्तुत किए गए और झूठे दस्तावेजों का उपयोग करके ऋण स्वीकृत किए गए।

जांच और उसके बाद की तलाशी कार्यवाही के दौरान, यह पता चला कि बीएमडब्ल्यू, वोल्वो, मर्सिडीज, लैंड रोवर आदि ब्रांड की कई महंगी कारें, ऋण एजेंट और एसबीआई के शाखा प्रबंधक के साथ साजिश करके, उधारकर्ताओं द्वारा झूठे दस्तावेजों के आधार पर खरीदी गई थीं। तलाशी कार्यवाही के दौरान, ऋण उधारकर्ताओं द्वारा खरीदी गई विभिन्न अचल संपत्तियों की पहचान हुई, आपत्तिजनक दस्तावेज मिले और साथ ही पीएमएलए, 2002 की धारा 17 के तहत उनके परिसरों से कई महंगी कारों को जब्त किया गया।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।